

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.1 (34) वन/2020

जयपुर, दिनांक :- 15 JUN 2021

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र)
पंचम तल केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच
अलीगंज, लखनऊ-226024

विषय:- Diversion of 16.4546 hac. of forest land in favour of Public Health Engineering Department, division-1 Banswara for Water Supply Project for 399 villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District- Banswara, Rajasthan


संदर्भ:- आपका पत्रांक 8बी/राज/08/18/2020/एफसी/736 दिनांक 16.07.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 14 (water/phed)2019/एफसीए/प्रमुवस/1396 दिनांक 02.06.2021 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि विषयाकित प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने का श्रम करावे।

भवदीय,

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


(बी प्रवीण)
शासन सचिव

311

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(WATER/PHED)2019/एफसीए/प्रमुवसं./ 1396

दिनांक 02.06.2020

शासन सचिव

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 16.4546 ha of forest land in favour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, DIVISION - I BANSEARA for Water Supply Project for 399 Villages and 395 Dhanies of Blocks Kushalgarh and Sajjangarh, District - Banswara, Rajasthan.

(Proposal no. FP/RJ/WATER/39353/2019)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज./08/18/2020/एफसी/42 दिनांक 07.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 2314 दिनांक 05.04.2021 से प्राप्त कर इस कार्यालय की सहमति के साथ प्रेषित है, जो निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात वन भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति वन विभाग का ही है इस संबंध में यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over to the user agency.	उक्त शर्त की पालना हेतु यूजर एजेंसी के द्वारा वचनबद्धता-पत्र संलग्न प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह कार्यालय सहमत है।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 5.63 ha, Non forest land out of 16.4546 ha, non forestland(Compartment/Survey No.181/96, Village-Guwari, Tehsil - Kushalgarh, District - Banswara)	उक्त शर्त की पालना में मांग अनुसार देय राशी रु9,71,738 एवं रु31,70,200 कुल रु41,41,938 यूजर एजेंसी के द्वारा ई-चालान के माध्यम से जमा करवायी जाकर तत्संबंधित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। 5.63 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर एवं 22 हेक्टेयर परिभ्रांषित वनP.T.O.

